



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 26, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 18, 2021

Asvina 26, Monday, Saka 1943- October 18, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 14, 2021

संख्या एफ.8(2)(20)/निर्वा/2018/5376 :-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155-वल्लभनगर एवं 157-धरियावद (अजजा) के उप चुनाव के लिए मतगणना के प्रयोजन हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति सम्बन्धी भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती हैं।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 12 अक्टूबर 2021

20 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/राजस्थान-वि.स./2018(2) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा-1 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि राजस्थान राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13 सितंबर, 2018 अधिसूचना सं. 434/राजस्थान-वि.स./2018(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना)
1	2
155-वल्लभनगर	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर

	2. तहसीलदार, भीण्डर 3. तहसीलदार, कानोड़
157-धरियावद (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, छोटी सादड़ी 2. तहसीलदार, सुहागपुरा

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों को केवल मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 155-वल्लभनगर तथा 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन पूरे होने के साथ ही, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 12th October, 2021
20 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/RJ-LA/2018(2)- in pursuance of the provision of sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in the Notification No. 434/RJ-LA/2018(2) dated 13th September, 2018, as amended from time to time relating to the appointment of Additional Assistant Returning Officer(s) for Assembly Constituency in the State of Rajasthan.

In Column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entries in Column 2 against the Constituencies mentioned in column 1, the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. & Name Assembly Constituency	Additional Assistant Returning Officers For Counting
1	2
155-Vallabhnagar	1. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bhinder 2. Tehsildar, Bhinder 3. Tehsildar, Kanore
157-Dhariawad (ST)	1. Tehsildar, Chhoti Sadri 2. Tehsildar, Suhagpura

The Officers mentioned above have been appointed as Assistant Returning Officer for counting purpose only and they shall cease to function as Assistant Returning Officer, with the completion of the Bye-Election from 155-Vallabhnagar and 157-Dhariawad (ST) Assembly Constituencies.

By Order,

**RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।